रजिस्ट्री सं डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1988/पौष 16, 1909
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 1988/PAUSA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

IndiaCode

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 9(अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यो के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमो का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यो के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1988 है।

(2) ये पहली जनवरी, 1986 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यो के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1985 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् —

"3. वेतन. अध्यक्ष 9,000 रुपये वेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा; उपाध्यक्ष 8,000 रु० का वेतन प्रतिमास प्राप्त करेगा और सदस्य 7300-100-7600 रु. प्रतिमास के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे.

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप मे नियुक्ति होने की दशा मे जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त हुआ है

और जो पेशन और/या उपदान या अभिदाय भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा-निवृत्ति लाभ या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए हुए है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेशन और उपदान के समतुल्य पेशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्त फायदा, यदि कोई हों, की कुल रकम कम कर दी जाएगी ।"

3. उक्त नियमावली में नियम 4 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"4. महंगाई भत्ता :

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अपने वेतन के अनुरूप ऐसी दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे जो 7300-100 7600 अथवा उससे ऊपर के वेतनमान में वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के श्रेणी "क" के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"

[सख्या ए-12018/5/86-ए.टी.]
श्रीमती पी०वी० वल्सला कुट्टी, अपर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1986 से, केन्द्रीय सिविल समूह "क" के वेतनमानों/महंगाई भत्तों में संशोधन किए जाने सम्बन्धी चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने का निर्णय किया है। तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में 1 जनवरी, 1986 से संशोधन किया जा रहा है ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है ।

पाद टिप्पणी : मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 644 (ई), दिनांक 10 अगस्त, 1985 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें संख्या सा.का.नि. 583(ई), दिनांक 18 जून, 1987 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 6th January, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 9(E) .—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1986.

2. In the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Pay : The Chairman shall receive a pay of rupees nine thousand per mensem; a Vice-Chairman shall receive a pay of rupees eight thousand per mensem and a Member shall receive pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 per mensem;

Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity, employer's contribution to the Contributary Provident Fund or other forms of retirement benefits the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him."

3. For rule 4 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"4. Dearness Allowance : The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs. 7300-100-7600 or above."

[No. A-12018/5/86-AT]
Smt. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has deceided to implement the decisions taken on the recommendations of the Fourth Central Pay Commission relating to revision of scales of pay|Dearness Allowance in respect of the Central Civil Services Group 'A' with effect from 1st January, 1986. The Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985 are being amended accordingly with effect from 1st January, 1986.

2. It is certified that no Chairman, Vice-Chairman and Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G. S. R. 644 (E) dated the 10th August, 1985 in the Gazette of India and subsequently amended vide No. G. S. R. 583 (E) dated the 18th June, 1987.

IndiaCode

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988

IndiaCode